

क्रमांक 3328500 / 22 / 2020

जल संसाधन विभाग

जल संसाधन भवन तुलसीनगर,

भोपाल(म.प्र.)-462003

Telephone 2552646,2552878 Fax-0755-2552406,

Email ID-encwrbpl-mp@nic.in

भोपाल, दिनांक 28/01/2021

प्रति,

श्री, डी. आर. आकरे,

तत्कालीन कार्यपालन यंत्री,

जल संसाधन संभाग क्रमांक-2,

जयसिंहनगर, शहडोल (म0प्र0)

द्वारा:- मुख्य अभियन्ता, गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, रीवा (म0प्र0)
विषय:- कारण बताओं सूचना पत्र मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील)
नियम-1966 के नियम-16 के अन्तर्गत ।


जब आप दिनांक 04.09.2014 से 09.07.2019 तक कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, शहडोल में कार्यपालन यंत्री के पद पर पदस्थ थे । उक्त अवधि में रिमार जलाशय योजना हेतु म0प्र0 शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल, के आदेश क्रमांक एफ-22/06/2015-16/ल.सि./31/102/भोपाल, दिनांक 25.01.2016 द्वारा राशि रू0 1007.25 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी । उपरोक्त कार्य हेतु अनुबंध मेसर्स आर0बी0मिश्रा, सविदाकार से राशि रू0 593.01 लाख (21.51 प्रतिशत कम दर) का अनुबंध निष्पादित किया गया था । वर्तमान तक उक्त कार्य का 99 प्रतिशत शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य 59 प्रतिशत पूर्ण है । ठेकेदार द्वारा वर्तमान समय तक रू0 645.20 लाख सम्पादित किया जा चुका है, जिसके विरुद्ध रू0 568.89 लाख का भुगतान किया जा चुका है, एवं रू0 76.31 लाख भुगतान हेतु शेष है ।

रिमार जलाशय योजना के निर्माण के दौरान बांध के मिट्टी कार्य एवं अन्य अवयवों के मात्रा में वृद्धि होना हेडस्लूस, शूटफॉल के रूपांकन में परिवर्तन एवं वरटीकल फॉल के अतिरिक्त निर्माण के कारण निर्माण कार्य में रू0 135.78 लाख की वृद्धि हुई एवं शीर्ष कार्य व नहर के भू-अर्जन पर एवं नहर शीर्ष कार्य में रू0 237.99 लाख की वृद्धि हुई जिससे योजना में कुल राशि रू0 373.77 लाख की अप्रत्याशित वृद्धि होना पाया गया जो योजना की लागत का लगभग 37 प्रतिशत है । रिमार जलाशय योजना में अप्रत्याशित वृद्धि होने से राशि रू. 1381.02 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

उपरोक्त विभिन्न कारणों से रिमार जलाशय योजना के निर्माण कार्य के दौरान लागत में राशि रू. 373.77 लाख की अनावश्यक वृद्धि हुई । इस प्रकार आपके द्वारा त्रुटिपूर्ण सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य कर प्राक्कलन प्रस्तुत करने में लापरवाही बरती गयी एवं निर्माण के दौरान बिना सक्षम अधिकारियों के स्वीकृति प्राप्त किये डेम लाईन एलाईमेंट का परिवर्तन किया गया फलस्वरूप निर्माण के दौरान कई मात्राओं में वृद्धि एवं नई संरचनाओं का निर्माण

कार्य किया जाना आवश्यक हुआ। आपके उक्त कृत्य से परियोजना की लागत में राशि रु. 373.77 लाख की बढ़ोत्तरी हुई जिससे पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की बाध्यता रही। उक्त कृत्य में आपकी सहभागिता परिलक्षित है, जो मध्यप्रदेश कार्य विभाग नियमावली 1983 के परिशिष्ट 1.25 के विपरीत है।

इस प्रकार आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के कर्तव्यपालन में लापरवाही की गई अतः क्यों न आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। तदसंबंध में आप अपना बचाव उत्तर 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में बचाव उत्तर प्राप्त न होने के स्थिति में आपको स्वयं के बचाव में कुछ नहीं कहना है, यह मानकर आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।


(मदन सिंह डावर)

प्रमुख अभियन्ता

जल संसाधन विभाग

भोपाल, दिनांक 28/01/2021

पृ.कमांक 3328500/22/2020

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. मुख्य अभियन्ता, गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, रीवा।
3. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, शहडोल।
4. वेब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, भोपाल को वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु।


(मदन सिंह डावर)

प्रमुख अभियन्ता

जल संसाधन विभाग